

25-5-2016

राजस्व लोक अदालत नाम आपके कार से 1 दिन  
उपद्र पक्षों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी होने  
के बाद पत्रावली मात्र राजस्व लोक अदालत अदालत  
के जा केन्द्र गुण व मुठाना पर पैरा डूनी नोटिस बन्द  
समील शामिल पत्रावली की वादीगण को रतन-2 कार  
कार-2 आवेज लगाई गई वादीगण के 6 कोर्टों पर  
उपस्थित नहीं हैं। अतः बाद वादीगण अदालत हाजरी व अदालत  
परवी के खारिज स्थित जाता है। पत्रावली केवल सुपुत्र  
दोका नम्बर से कर दो तथा फलर साक्ष्य है।

उप खण्ड अधिकारी  
नियामक